सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 855 राँची, गुरुवार, 18 कार्तिक, 1938 (श०)

9 नवम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

13 सितम्बर, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड का पत्रांक-5470, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 तथा पत्रांक-3804, दिनांक 19 सितम्बर, 2013.
2. कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-10464, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013; पत्रांक-870, दिनांक 29 जनवरी, 2013 एवं संकल्प सं०-7606, दिनांक 21 अगस्त, 2015
3. श्री अशोक कुमार सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-234, दिनांक 3 जून, 2015.

संख्या- 5/आरोप-1-248/2014 का.-9776-- लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड के पत्रांक-5470, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के

कार्यावधि से संबंधित आरोप-पत्र की प्रति लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा-10(1)(क) के तहत् उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :-

(क) श्री उमेश कुमार यादव, गोंदलपुरा पैक्स के पूर्व अध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी वर्ष 2009 के राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ पाने वाले किसानों की सूची को बिना प्राप्ति रसीद की जाँच के ही सत्यापित किया गया, जिसके कारण 40 वैसे किसान, जिन्होंने बीमा राशि जमा किया था, लाभ पाने से वंचित रह गये ।

(ख) किसानों की सूची में नाबालिग बच्चों एवं गोंदलपुरा पैक्स क्षेत्र से बाहर के किसानों को भी बिना जाँच के सत्यापन कर पैक्स नियमावली के विरूद्ध बीमा राशि का भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया ।

2. माननीय लोकायुक्त से प्राप्त आरोप-पत्र को विभागीय पत्रांक-870, दिनांक 29 जनवरी, 2013 द्वारा श्री कुँवर को नोटिस का तामिला कराने हेतु उपायुक्त, चतरा को भेजा गया । मामले की सुनवाई के पश्चात् माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को आदेश पारित किया गया, जिसमें श्री कुँवर के विरूद्ध उक्त आरोपों को सही मानते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी । उप सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3804, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को पारित आदेश की प्रति, परिवाद पत्र, जाँच प्रतिवेदन साक्ष्य एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा-10(1)(क) के अन्तर्गत निर्गत नोटिस की प्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी ।

3. माननीय लोकायुक्त से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-10464, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्री कुँवर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-234, दिनांक 3 जून, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत, प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-7606, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा श्री कुँवर के विरूद्ध सेवा-संपुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि को दण्ड स्वरूप सेवा-संपुष्टि की तिथि से अगले चार वर्षों तक बढ़ाये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

4. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री कुँवर के पत्रांक-3, दिनांक 11 फरवरी, 2016 एवं पत्रांक-6, दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया । अपील में इनके द्वारा अन्य तथ्यों के अलावा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया है कि इन पर अधिरोपित दण्ड उक्त नियम में वर्णित दण्ड की सूची में उल्लिखित नहीं है ।

5. श्री कुँवर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में कहे गये उक्त बिन्दु की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुँवर की सेवा संपुष्ट नहीं है । जब तक ये सेवा सम्पुष्टि की अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक इन पर अधिरोपित दण्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. इस बीच, विषयगत आरोपों हेतु इनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड सं०-41/2013, दिनांक 2 नवम्बर, 2013 में विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-32/जे०, दिनांक 19 जुलाई, 2017 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस प्रकार, श्री कुँवर की सेवा-संपुष्ट नहीं रहने तथा अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण निकट भविष्य में सेवा संपुष्टि की संभावना नहीं है ।

7. अतः, समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-7606, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा श्री कुँवर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु उनकी सेवा संपुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि को सेवा-संपुष्टि की तिथि से अगले चार वर्षों तक बढ़ाये जाने के दण्ड को अप्रभावी रहने के कारण निरस्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 855-50